NDSH/Pub 210/11-07-2014

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

(आई.एस.ओ. 8001-2008 द्वारा प्रमाणित संस्थान)

सेवा में.

चेषक :

सचिव हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी-127021 प्राचार्य/मुख्याच्यापक/मुख्याच्यापिका
DAV Sx. Sec School
Khandra Road (nurgaon

क्रमांक 5/15 | GTU /Aff. / 2016-17

दिनांक. 16-1-17

महोदय/महोदया,

1. हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड/शिक्षा विभाग, हरियाणा द्वारा अनुमोदित पुस्तकें ही पढ़ाई जावें।

 संस्था परीक्षाओं के संचालन के लिए अपने स्कूल का भवन/फर्नीचर एवं अपने स्टाफ की सेवाएं बोर्ड को उपलब्ध करवाएगी। बोर्ड द्वारा उन्हें भवन/फर्नीचर का किराया आदि नही दिया जायेगा।

3. बोर्ड द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम एवं परीक्षाओं से सम्बन्धित जो निर्देश समय-समय पर जारी किये जाते है,

संस्था उनकी दृढ़ता से पालना करेगी।

4. संस्था बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए बोर्ड को पूर्ण सहयोग देगी, जिससे नकल/प्रतिरूपण मामलों एवं अन्य अनियमितताओं पर पूर्ण नियन्त्रण किया जा सके।

53 संस्था बोर्ड द्वारा संचालित मुक्त विद्यालय परीक्षा एवं इससे सम्बन्धित अध्ययन केन्द्र को संचालित करने में पूर्ण सहयोग देगी ।

 संस्था द्वारा हिरयाणा एजुकेशन कोड की धारा 28 क्रम संख्या 1 से 21 के अनुसार सभी प्रकार का रिकार्ड एवं रिजस्टर तैयार करने की पालना की जायेगी।

7. संस्था में कार्यरत स्टाफ की नियुक्ति हरियाणा सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार हो 1

प्रीक्षार्थियों का विद्यालय में बैठने के लिए समुचित प्रबन्ध करना होगा ।

पराक्षायया का विधालय न वर्णन के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का पूरा प्रबन्ध
 संस्था में पढ़ाये जाने वाले विज्ञान विषयों के लिए उपयुक्त प्रयोगशाला तथा वांछित उपकरणों का पूरा प्रबन्ध
होना चाहिए एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विज्ञान की प्रायोगिक पुस्तिका ही विद्यार्थियों
को लगवाई जाए ।

10. बोर्ड द्वारा सम्बद्धता प्रदान करने के पश्चात कभी भी विद्यालय का निरीक्षण किया जा सकता है।,

उपरोक्त के अतिरिक्त शिक्षा विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर लिए गए निर्णय भी आपकी संस्था पर लागू होंगे तथा आपकी संस्था द्वारा इनकी पालना की जायेगी ।-

यदि किसी समय यह पाया गया कि प्रबन्धक/विद्यालय/महाविद्यालय सम्बद्धता शर्तों का उल्लंघन कर रहे है तो सम्बद्धता विनियमों क्रे अर्न्तगत सम्बद्धता वापिस ले ली जायेगी ।

भवदीय अधीक्षक सम्बद्धता कृते : सचिव

01

Principal D.A.V. Sr. Sec. School Khandsa Road, Gurgaon

4

GOVERNMENT OF HARYANA **EDUCATION DEPARTMENT** ORDER

(under Rule 34(6) of Haryana school education Rules-2003)

GRANT OF PERMANENT RECOGNITION

OREDER NO:- E-4/2016/3604-10

DATED -01-06-2016

In exercise of power conferred under rule 34(6) of Haryana School Education Rules 2003 as amended from time to time sanction is hereby accorded for grant of Permanent Recognition to D.A.V Sr. Sec. School Khandsa Road Gurgaon as per the following details and terms & conditions (overleaf):

Name & Address of the School

D.A.V Sr. Sec. School Khandsa Road Gurgaon

Name of the individual or

Arya Education Society Gurgaon

Association of Individuals or

Society or Trust or Company establishing the school

Affiliating Board (Haryana Board/ CBSE/ ICSE)

Haryana Board

For classes (stage upto which it is being recognized)

Stream Alt /Commerce/science

Approximate number of students to be enrolled

800

DEO -cum- Member Secretary

Of the District Committee

(As per specified under rules 34(6) of Haryana School Education Rules 2003 as amended time to time (Signature and seal)

Deputy Commissionercum-Chairman

of the District Committed

(As per specified under rules 34(6) of Haryana Education Rules 2003 as amended time to time (Signature and seal)

Endst. No. Even:

Manager of School management D.A.V Sr. Sec. School Khandsa Road Gurgaon

- 2 Director School Education, Haryana Panchkula.
- 3 DEEO Gurgaon.
- 4 Secretary, Haryana Board of School Education, Bhiwani.
- 5 Manager/Head of School D.A.V Sr. Sec. School Khandsa Road Gurgaon
- 6 Principal, D.A.V Sr. Sec. School Khandsa Road Gurgaon
- 7 BEO Gurgaon.

DEO- cum - Member Secretary- Gurgaon

· For terms and Condition, Please see

reverse.

D.A.V. Sr. Sec. School Khandsa Road, Gurgaon